2012/ 00020

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 11/2012

प्रार्थीनी	बनाम	अप्रार्थीगण
कौशल्या पुत्री मदनलाल जाति खत्री निवासी खत्रियों का वास शिव तहसील शिव		1.गंगासिंह पुत्र दुर्जनसिंह जाति राजपूत निवासी कोटड़ा तहसील,शिव 2.कमलसिंह पुत्र हिन्दुसिंह जाति राजपूत निवासी शिव 3.ग्राम पंचायत शिव जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शिव

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम वास्ते निरस्त करने पट्टा संख्या 34 दिनांक 05.08.2008 जो सरपंच ग्राम पंचायत,शिव द्वारा अप्रार्थी संख्या 01के नाम से जारी किया गया।

उपस्थितिः– 1. श्री हुकमसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीनी की ओर से।
2. अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 01 व 03 एक तरफा

निर्णय दिनांक 13.06.2018

1. संक्षेप में प्रार्थीनी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 01 गंगासिंह ने सरपंच ग्राम पंचायत शिव के समक्ष ग्राम पंचायत शिव की आबादी भूमि में 70X25 वर्ग फीट का पट्टा जारी करने का आवेदन पत्र पेश किया। इस पर ग्राम पंचायत,शिव ने आवेदित भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 01 का पुराना कब्जा होना बताते हुए नियम 157(ख) के तहत पट्टा संख्या 34 दिनांक 05.08.2008 जारी कर दिया। प्रार्थीनी का यह कथन है कि अप्रार्थी गगासिंह के पक्ष में पट्टा, प्रार्थीनी की भूमि को सम्मिलित करते हुए एंव जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत जॉच एंव निर्धारित प्रक्रिया नहीं अपनाकर पट्टा जारी किया है। प्रार्थीनी ने इस विक्रय विलेख पट्टा को गलत एंव नियम विरूद्ध जारी होना बताते हुए अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी इस पट्टा को निरस्त करने हेतु यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की।
2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव ग्राम पंचायत शिव से पट्टा से सम्बन्धित रेकर्ड तलब किया। अप्रार्थी संख्या 01 व 03 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहे,फलस्वरूप अप्रार्थी संख्या 01 व 03 के विरूद्ध एक तरफा आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री संपतराज बोथरा उपस्थित हुए, जिन्हे जवाब हेतु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया, फलस्वरूप जवाब बन्द किया गया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. वक्त बहस अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीनी के विद्वान अधिवक्ता यह तर्क है कि प्रार्थीनी के स्वामित्व एंव आधिपत्य का भूखण्ड ग्राम शिव की आबादी भूमि में आया हुआ है जिसके उतर–दक्षिण 20X20 एंव पूर्व पश्चिम 40X40 का जिसके उतर में पंचायत की दुकाने, दक्षिण में खाली व कमरे, पूर्व मे खाली भूमि एंव पश्चिम में अमरलाल की भूमि है। प्रार्थीनी के उक्त वर्णित नाप व पड़ौस के भूखण्ड को सम्मिलित करते हुए ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 01 को नियम विरूद्ध पटटा जारी किया गया। जारी पट्टा की भूमि में प्रार्थीनी के पट्टे की भूमि एंव 10 फीट रास्ते की भूमि आती है। ग्राम पंचायत को रास्ते की भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने नियम 145 से 157 की कोई पालना नहीं की है। अप्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क 25/–जमा नहीं करवाये है। प्रार्थी ने किस तारीख को ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया वह तारीख अंकित नहीं है। अप्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र में भूमि का विवरण अंकित नहीं किया। ग्राम पंचायत ने विधिवत आपतियां आमंत्रित करने का न तो नोटिस जारी किया है और न ही नोटिस मौतबरान के रूबरू चस्पा किया गया है। ग्राम पंचायत ने नियमानुसार मौका गठन नहीं किया है जो मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी है वह निर्धारित प्रपत्र. में नहीं है। रिपोर्ट में निर्मित मकान का उल्लेख नहीं है। आपतियां आमंत्रित करने हेतु ग्राम पंचायत ने जो नोटिस जारी किया है,उस नोटिस की प्रतियां किस किस स्थान पर चस्पा की गयी है यह स्पष्ट नहीं है। उन्होने तर्क दिया कि ग्राम पंचायत ने पुराना कब्जा मानते हुए अप्रार्थी के हक में पट्टा जारी किया है जबकि नियम 157(ख) के तहत 50 वर्षो के दौरान बने मकानो के पट्टे जारी किये जा सकते है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा पर ग्राम सेवक एंव पदेन सचिव व साक्षीगण के हस्ताक्षर नहीं है। अन्त में उन्होने ग्राम पंचायत शिव द्वारा जारी पट्टा को नियम विरूद्ध एंव गलत बताते हुएं पट्टा को खारिज करने का निवेदन किया।

4. हमने प्रार्थीनी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 के तहत कोई व्यक्ति पंचायत से भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने आवेदन पत्र के साथ स्थल निरीक्षण के खर्च के 25/–रूपये की राशि जमा करानी चाहिये और स्थल का नक्शा तैयार करने हेतु भी 25/– जमा कराने चाहिये। मगर इस मामले में अप्रार्थी संख्या 01 ने कोई राशि जमा नहीं करवाई है। एक नजरी नक्शा रेकर्ड पर अवश्य उपलब्ध है। यह नक्शा किसके द्वारा तैयार किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है। नियम 146 के तहत 3 पंचों की समिति प्रतिनियुक्त कर स्थल रिपोर्ट मंगवाने का प्रावधान है,जो इस नियम के उप

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

नियम 3 के सब क्लॉज क से ड़ में वर्णित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट देगीं। पत्रावली पर मौका रिपोर्ट का कोई साक्ष्य नहीं है। विवादित भूखण्ड पर अप्रार्थी का कितने वर्षो से कब्जा है एंव अप्रार्थी का मकान बना हुआ है इसका भी अंकन नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट नहीं है कि अप्रार्थी का कब्जा कितने वर्षो से है और निर्माण कार्य किया हुआ है अथवा नहीं?नियम 147 के तहत पंचायत को अपनी बैठक से पूर्व समिति में अन्तिम विनिश्चय पारित करना था और नियम 148 के तहत प्ररूप 2 में एक नोटिस व एक माह के भीतर आक्षेप आंमत्रित करने हेतु प्रकाशित करना था। इस नोटिस की एक प्रति प्रस्तावित भूमि पर किसी सदृश्य स्थान पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रूबरू चस्पा करनी चाहिये थीं। इस मामले में नोटिस जारी किया गया है मगर नोटिस की प्रतियां किस किस स्थान पर चस्पा की गयी है इसका अंकन नहीं है। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी गंगासिह को नियम 157(ख) पुराने गृहों का विनियमितिकरण के तहत जारी करना बताया है।नियम 157(ख) के तहत इन नियमो के लागू होने की तिथि को 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200/– लेकर पट्टा जारी करने का प्रावधान है मगर पत्रावली पर पुराना मकान होने का कोई साक्ष्य नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 को जारी पट्टा की भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी संख्या 02 को किया गया है। अप्रार्थी ने बेचान दस्तावेज में प्लोट का बेचान बताया है इससे भी यह स्पष्ट है कि मौके पर मकान बना हुआ नहीं है। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व नियम 145 से 157 की पूर्ण पालना नहीं की गयी है एंव निर्धारित प्रक्रिया को अपनाऐं एंव जॉच किये बिना ही ग्राम पंचायत शिव ने अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में पट्ट जारी किया है, जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त करने योग्य है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीनी की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत शिव द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा 34 दिनांक 05.08.2008 को खारिज किया जाता है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(शिवप्रसाद रम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर